



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकरण)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 126—अ०प्र०(२अ) / पा०का०लि० / 2015

दिनांक: 02 नवम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतदद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं यां०) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै० एवं यां०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-३ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्तम्भ संख्या-०४ में उल्लिखित निगम/स्थान को स्थानान्तरित कर तैनात/आबण्टित किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से स्थानापन मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै० एवं यां०) के पद पर नियुक्त होंगे :-

क्र० सं०	नाम/अभियन्ता संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनाँक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति के पश्चात पदनाम एवं तैनाती कार्यालय/आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्रीमती मीना चानना 85125, लखनऊ, 30.06.2017	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, लखनऊ	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सम्बद्ध महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, लखनऊ। (अन्यत्र स्वीकृत पद के विरुद्ध)
2.	श्री रवि प्रकाश दुबे 86055, मुरादाबाद, 30.06.2022	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, गोण्डा, ट्रान्सको	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० को आबण्टित।

- 2— उपरोक्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, (वै० एवं यां०) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि किन्हीं कारणवश निदेशक के पद पर नियुक्त पाकालि संवर्ग के अभियन्ता अधिकारी की अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने की स्थिति में कनिष्ठतम् अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, (वै० एवं यां०) के पद पर स्वतः प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।
 3— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनाँक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
 4— सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
 5— उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
 6— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकालि(०६)-२००१ दिनाँक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

संख्या: 126—अ०प्र०(२अ) / पा०का०लि० / 2015 तददिनाँक

प्रबन्ध निदेशक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
 1— मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
 2— अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 3— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
 4— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रान्समिशन का०लि०।
 5— समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 6— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
 7— उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 8— सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा सं
 (सुबोध कुमार शर्मा) ११/१२/२०१५
 उप सचिव (२अ)